(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

निर्णय दिनांक 06.06.2022

किशनलाल पिता उंकारलाल अहीर निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी

–वादी

।। बनाम ।।

1. डालू पिता नाना धोबी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी
2. तहसीलदार बडीसादडी

– प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 54/2020 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील डीके वैष्णव और प्रतिवादी की ओर से x पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाकर अंतिम डिग्री किया जाता है। कि मौजा बोहेडा के आराजी नं. 5459/1176 रकबा 0.6900 है. लगानी 7.59 रूपया वादी के खातेदारी में घोषित की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित की जावे एवं प्रतिवादी डालू को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे न करावे तथा वादी को शांतिपूर्वक काबिज रहने देवे।

इस वाद के खर्चे.....X..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित.....X को दी जावे। यह आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(बिन्दुबाला राजावत)RAS
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

कमांक/राजस्व/2022/41 दिनांकः– 6.6.22

मूल तहसीलदार बडीसादडी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बडीसादडी

निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी – बिन्दू बाला राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 54/2020 ई.रे. निर्णय दिनांक 06.06.2022

श्री किशनलाल पिता उंकारलाल जाति अहीर आयु 53 वर्ष, निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चितौड़गढ़(राज.) **– वादी**

।। बनाम।।

1. श्री डालू पिता नाना जाति धोबी आयु 92 वर्ष निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
2. श्री तहसीलदार साहब, बडीसादडी **– प्रतिवादीगण**

निर्णय

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का पेश किया है कि मौजा बोहेडा की खाता सं. 431 की आराजी नं. 718 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा जिसके वर्तमान आराजी नं. 5459/1176 रकबा 0.6900 है. लगानी 7.59 रूपया स्थित है, उक्त आराजी नाना पिता भज्जा के खातेदारी की थी। नाना की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसके दो पुत्र प्रतिवादी डालू तथा जगन्नाथ हुए जिनका आराजी नं. 718 में प्रत्येक का 1/2 हक हिस्सा था। उक्त आराजी में से प्रतिवादी डालू पिता नाना ने 1/2 हक हिस्सा यानि 3 बीघा 04 बिस्वा भूमि उंकार पिता नन्दा जी अहीर निवासी बोहेडा को सम्वत् 2012 वेशाख सुदी पूनम को 451/–रूपये में विक्रय कर दी जिसकी लिखापढी भी बही में उंकार जी के पक्ष में प्रतिवादी डालू ने निष्पादित कर दी तथा लिखापढी में विक्रित आराजी के पडोसी दर्ज कर दिये। जिसके अनुसार उगमणा(पूर्व) लक्ष्मीलाल जी पोखरना, आतमणी(पश्चिम)–कजोड जी जणवा का खेत व लक्ष्मीलाल जी पोखरना का खेत, धराउ(उत्तर)–भेरूलाल जी की मेड, लंकाउ(दक्षिण)– कजोड जी जावा व लक्ष्मीलाल जी पोखरना का खेत, उपरोक्त चारो पडोसो मध्य स्थित आराजी को प्रतिवादी डालू ने उंकार जी को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया, उंकार जी की मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

हो चुकी है जिसका वारीस वादी उसका पुत्र है। उक्त आराजी पर उंकार जी काबिज थे तथा उंकार जी की मृत्यु के बाद वादी काबिज है इसलिए उक्त आराजी वादी की खातेदारी में घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करायी जावे। उक्त आराजी पर सम्वत् 2012 वक्त विक्रय से केता उंकार पिता नन्दा काबिज थे तथा उंकारलाल की मृत्यु के बाद वादी किशनलाल करीब 55 वर्षो से शांतिपूर्वक काबिज है जिसे 12 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है

इसलिए वादी वादग्रस्त आराजीयात पर बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है जिससे वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(4) के तहत खातेदार काश्तकार हो चुका है इसलिए आराजी वादी की खातेदारी में घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करायी जावे। वादग्रस्त आराजी पर वादी 55 वर्षो से अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त कर रहा है लेकिन आराजी प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसका नाजायज फायदा उठाकर वह उक्त आराजी को अपने परिजनो के बहकावे में आकर रहन, बय, बक्षीश कर हस्तांतरीत करने पर आमादा है तथा वादी को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, बक्षीश कर हस्तांतरीत नहीं करें न करावे तथा वादी को अपनी खरीदशुदा आराजी का उपयोग उपभोग करने देवे। वाद कारण दिनांक 30/05/2020 से पैदा है जबकि वादी ने प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु कहा तो वह इन्कार हो गया तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है इसलिए वादी को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं. 1 दिनांक 29/09/2020 को न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अपनी ओर से अधिवक्ता अविनाश कुमार आमेटा को नियुक्त कर लिखित में जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को

सहायक कलेक्टर
घड़ीसावड़ी

स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को वादी के नाम पर दर्ज करने में अनापत्ति जाहिर की एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने बाबत् निवेदन किया, प्रतिवादी सं. 2 की भी तामिल हुई लेकिन न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण का प्रकरण में इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत होने से प्रकरण में तनकीयात नही बनायी गयी व पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी।

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू. 1 किशनलाल का शपथपत्र पेश किया तथा गवाह पी.डब्ल्यू 2 भंवरलाल सुथार, पी.डब्ल्यू 3 लक्ष्मीलाल जणवा, पी.डब्ल्यू 4 किशनसिंह राजपूत, पी.डब्ल्यू 5 शंकरलाल जोशी, पी.डब्ल्यू 6 मिट्ठूलाल जणवा के शपथ पत्र पेश किये तथा वादपत्र की पुष्टि में विक्रय पत्र प्रदर्श 1 , ईकरार नामा प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी पुरानी सम्वत् 2017 की प्रदर्श 3, वर्तमान खाते की नकल प्रदर्श 4 एवं प्रदर्श 5 पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी।

साक्ष्य वादी में वादी किशनलाल को साक्ष्य के रूप में शपथपत्र पेश किया जिसमें वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा सम्वत् 2012 से होना बताया तथा उक्त आराजी प्रतिवादी डालू के द्वारा अपने पिता उंकार जी को विक्रय करना बताया तथा गवाह पी.डब्ल्यू 2 भंवरलाल का शपथपत्र पेश किया जो कि विक्रय पत्र प्रदर्श 1 का साक्षी है जिसने बिकावनामा प्रदर्श 1 भेरूसिंह जी देवडा के प्रतिवादी डालू धोबी के कहने से लिखने की बात कहीं, बिकावनामे पर बतौर साक्षी सी. से डी. अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया तथा ई. से एफ. साक्षी वालूराम जी जोशी के द्वारा देना बताया। वालूराम जोशी की मृत्यु होना एवं भेरूसिंह जी [illegible]या तथा लिखापढी सही होना स्वीकार किया। लिखापढी [illegible] देवडा द्वारा करना तथा मार्क ए. से बी के रूप [illegible] भेरू[illegible] एवं एक्स स्थान पर डालू धोबी की निशानी होना [illegible] पी.डब्ल्यू 3 लक्ष्मीलाल जणवा का शपथ पत्र पेश किया जिसने वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा उंकार जी के समय से होना बताया तथा सम्वत् 2012 से वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

पिता उंकार जी के द्वारा काश्त करना एवं उंकार जी की मृत्यु के पश्चात वादी द्वारा फसल काश्त करना स्वीकार किया तथा आराजी उंकार जी के द्वारा 451/–रूपये में सम्वत् 2012 में क्रय करना भी स्वीकार किया। वादग्रस्त आराजी का पश्चिम एवं दक्षिण दिशा का पडोसी होने से उक्त गवाह ने वादी एवं उसके पिता के कब्जे की पुष्टि होना स्वीकार किया। गवाह पी.डब्ल्यू 4 किशनसिंह जो कि मृतक भेरूसिंह देवडा का पुत्र है जिसने लिखापढी बिकावनामे प्रदर्श 1 पर अपने पिता के हस्ताक्षर होना एवं उक्त बिकावनामा अपने पिता के द्वारा लिखा जाना स्वीकार किया साथ ही वादग्रस्त आराजी पर उंकार जी का कब्जा होना एवं उंकार जी की मृत्यु के बाद वादी किशनलाल का कब्जा होने की बात भी स्वीकार की व वर्तमान में भी किशनलाल के द्वारा फसल काश्त करना स्वीकार किया है तथा विक्रय पत्र पर अपने पिता एवं साक्षी भंवरलाल एवं वालूराम के हस्ताक्षर होना एवं प्रतिवादी डालू की अंगुष्ठ निशानी होना स्वीकार किया है। गवाह पी.डब्ल्यू 5 शंकरलाल का शपथपत्र पेश किया है, शंकरलाल मृतक वालूराम जो कि दस्तावेज प्रदर्श 1 का साक्षी है जिस पर अपने पिता के हस्ताक्षर मार्क ई. से एफ के रूप में होना स्वीकार किया व वादग्रस्त आराजी डालू के द्वारा सम्वत् 2012 वेशाख सुदी पूनम को वादी के पिता उंकार जी को विक्रय करना व विक्रय के पश्चात उंकार जी के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त करना एवं वर्तमान में वादी के द्वारा काश्त करना स्वीकार किया। दस्तावेज प्रदर्श 1 पर अपने पिता वालूराम जी जोशी के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, उक्त लिखापढी भेरूसिंह जी द्वारा करना एवं बतौर साक्षी भंवरलाल सुथार

एवं अपने पिता वालूराम जी के हस्ताक्षर होना एवं प्रतिवादी डालू के अंगुष्ठ निशानी होना स्वीकार किया [illegible] वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा होना भी स्वीकार किया व [illegible] काश्त करना स्वीकार किया। गवाह पी.डब्ल्यू 6 [illegible] किया, उक्त गवाह प्रदर्श 2 इकरारनामे का साक्षी है, उक्त गवाह ने अपने शपथ पत्र में इकरारनामे में वर्णित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया व उक्त इकरारनामा दिनांक 01/07/2020 को प्रतिवादी डालू के द्वारा वादी किशनलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
घड़ीसादड़ी

के पक्ष में निष्पादित करना एवं उक्त इकरार नामे पर बतौर साक्षी अपने तथा बगदीराम धोबी के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया तथा वादग्रस्त आराजी पर उंकार जी का कब्जा होना एवं उंकार जी की मृत्यु के पश्चात वादी किशनलाल का कब्जा होने की ताईद की, विक्रय के पश्चात प्रतिवादी डालू का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा व शांतिपूर्वक वादी किशनलाल के द्वारा काबिज होकर काश्त करना स्वीकार किया एवं अपने बयानों के द्वारा उक्त सभी तथ्यों की उक्त गवाह ने भी ताईद की तथा उक्त लिखापढी स्वेच्छा से प्रतिवादी डालू के द्वारा वादी किशनलाल के पक्ष में निष्पादित करने की ताईद की, उक्त गवाह ने डालू के द्वारा पूर्व में निष्पादित बिकावनामा प्रदर्श 1 सम्वत् 2012 वेशाख सुदी पूनम को 451/–रूपये में वादग्रस्त आराजी उंकारलाल को विक्रय करने की पुष्टि की तथा उक्त इकरार नामे पर अपने हस्ताक्षर मार्क ए. से बी. के रूप में होना बताया तथा सी. से डी. हस्ताक्षर बगदीराम धोबी के होना बताया व एक्स स्थान पर डालू की निशानी होना व ई. से एफ. के रूप में डालू के पुत्र के हस्ताक्षर होना बताया। उक्त सभी गवाहान वादी के पिता उंकार जी के द्वारा प्रतिवादी डालू से आराजी सम्वत् 2012 की वेशाख सुदी पूनम को तीन बीघा 04 बिस्वा भूमि कय करना एवं विक्रय के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर उंकार का कब्जा होना व उंकार की मृत्यु के पश्चात वादी का कब्जा होना स्वीकार किया है तथा सभी गवाह इस बात की भी ताईद करते है कि उंकार जी के द्वारा जमीन कय करने के पश्चात विक्रेता डालू का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। व वादी ही उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है, साक्ष्य वादी बन्द की गयी व पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की पक्ष बहस सुनी गयी तथा वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वाद डिक्री करने का निवेदन किया, बहस के दौरान वादी ने दृष्टान्त पेश किये जिसमें आर.आर.डी 1980 पेज 601 , आर.आर.डी 1993 पेज 178, आर.आर.डी 1994 पेज 528, आर.आर.टी 2009(1) पेज 369, आर.आर.टी 2012(1)

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

पेज 277 पेश किये है तथा उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होने से वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

वकील वादी की एक पक्षीय सुनने तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन किया जिसके अनुसार –

1– आर.आर.डी 1993 पेज 178 श्रीलाल बनाम प्रभु राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के अनुसार – No case law has been brought to the notice of the Board which has been ignored so as to make the judgment in 1991 R.R.D 1 per incurium – The law laid down therein by the Larger Bench that khatedari rights can be acquired by adverse possession is binding on the smaller Benches of the Board,(Para 10)

The Act does not forbid acquisition of khatedari rights by adverse possession- When khatedari rights are extinguished, these must repose in some other person- Khatedari rights will not remain in medio- The principle that a person can acquire khatedari rights by adverse possession is not unknown to the legal world.(Para 11)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

2– आर.आर.डी 1994 पेज नं. 528 गिरधा[illegible] आनन्दी लाल –

Rajasthan [illegible] Schedule – Sl No 23 and Section 63(IV) – [illegible] for filing suit u/s

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

183 of the R.T. Act for ejectment of trespasser is acquires khatedari rights- A member of a Scheduled Caste is not entitled to any REVISION DISMISSED

3- आर.आर.डी 1980 पेज 601–

Raj Tenancy Act, Sec. 42- Effect of amendment dt. 22-9-56 and 1-5-64- Sec. 42 contained no prohibition about sale by khatedari belonging to S.C. in R.T. Act which came into force on 15-10-55-Sec. 42, amended from 22-9-56 adding proviso that member of S.C. or S.T. shall not transfer his interest to a noninto force on 1-5-64 which continued proviso reg. sale to non-member as void but deleted condition about proviso being deemed to have been always so added- First amendement (22-9-56) purposing to be retrospective, struck down by 1964, not retrospeetive- Hence sales on or after 1-5-64, Void, sales between 22-9-56 and 1-5-64. Voidable and sales prior to 22-9-56, legal-sale, made on 20-8-56, held perfectly legal- 1977 RRD 621, no authority to regard sale prior to even 22-9-56 as ab intio void.(Paras 7& 8)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

4–आर.आर.टी 2009 पार्ट I पेज 177– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 42– गैर अनु. जाति/अनु. जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में भूमि का अन्तरण–भूमि 1958 में अन्तरित की तथा धारा 42 के प्रावधान 1964 में डाले गये –भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया–निर्णीत, धारा

सहायक कलेक्टर

42 के प्रावधान लागू नहीं होंगे तथा अन्तरण मान्य है तथा अन्तरिती सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। (पैरा 5, 6, 7, 8)

5—आर.आर.टी 2012 पार्ट । पेज 277— राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा उक्त प्रकरण यह प्रतिपादित किया है —

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 —88 व 188 —घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद — वाद खारीज किया—प्रथम अपील भी खारीज हुई—वाद में मुखालफाना कब्जा का अभिवचन नहीं उठाया— राज्य में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1950 में लागू हुआ, भूमि हस्तांतरण विलेख रजिस्टर्ड होना चाहिये कानून के प्रतिकूल है—अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के सदस्य द्वारा गैर अनु.जाति/अनु.जनजाति के व्यक्ति को बैचान कर प्रतिबन्ध वर्ष 1964 में आया लेकिन भूतलक्षी प्रभाव के साथ नहीं— भूमि 22—02—1948 को विक्रय की और यह धारा 42 के उल्लंघन में नहीं था—निर्णित , निचले न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त है व वाद डिकी किया।

तथा उक्त प्रकरण में मूल तथ्य यह है कि वादग्रस्त आराजी का अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तांतरण करना प्रतित होता है , उक्त प्रकरण में वादी द्वारा बिकावनामा प्रदर्श 1 प्रस्तुत किया जो सम्वत् 2012 का है जिसके अनुसार सन् 1955 होता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में जो संशोधन हुआ है वह 22/09/1956 एवं दूसरा संशोधन 01/05/1964 को हुआ है तथा उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श 1 अधिनियम के पूर्व का है जो प्रतिवादी डालू के द्वारा वादी के पिता उंकार जी के पक्ष में [illegible] 2012 को लिखा गया है तथा उसके पश्चात प्रतिवादी [illegible] द्वारा वादी किशनलाल के पक्ष में दिनांक 01/[illegible]20 को [illegible]र नामा स्टाम्प के उपर निष्पादित करना तथा [illegible] गयी आराजी एवं उसमें दर्ज तथ्यों को पुनः इकरारनामा प्रदर्श 2 में वर्णित किया गया तथा प्रदर्श 1 को अपने द्वारा उंकार जी के पक्ष में निष्पादित करना स्वीकार किया। जिससे वादी का कब्जा होना एवं प्रदर्श 1 प्रतिवादी के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

निष्पादित होना साबित होता है, मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी ने अपनी ओर से दस्तावेज प्रदर्श 1 बिकावनामा का साक्षी भंवरलाल सुथार को अपनी ओर से साक्षी के रूप में न्यायालय में पेश किया जिसने विक्रय पत्र पर बतौर साक्षी अपना हस्ताक्षर होना एवं दस्तावेज प्रदर्श 2 डालू के कहने से भेरूसिंह जी देवडा के द्वारा लिखना एवं साक्षी के रूप में वालूराम जोशी के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। उक्त दस्तावेज करीब 57 वर्ष पुराना है। जिसे 12 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है इसलिए उक्त दस्तावेज पर संदेह नहीं किया जा सकता है, उक्त दस्तावेज का लेखक भेरूसिंह जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिसके हस्ताक्षर को पहचानने हेतु उसके पुत्र पी.डब्ल्यू 4 किशनसिंह के बयान कराये गये जिसने भी विक्रय पत्र पर अपने पिता के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया तथा वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा होना भी स्वीकार किया है। पी.डब्ल्यू 5 गवाह शंकरलाल जो दस्तावेज प्रदर्श 1 का साक्षी वालूराम जोशी का पुत्र है , वालूराम जोशी की मृत्यु होने से शंकरलाल के बयान कराये गये, शंकरलाल द्वारा प्रदर्श 1 पर ई.से एफ. के रूप में अपने पिता के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया तथा वादग्रस्त आराजी का उंकार जी का कब्जा होना एवं उंकार जी की मृत्यु के पश्चात वादी का कब्जा होना स्वीकार किया, वादग्रस्त आराजी के पश्चिम एवं दक्षिण दिशा के पडोसी लक्ष्मीलाल पी.डब्ल्यू 3 के बयान कराये जिसने भी वादग्रस्त आराजी डालू के द्वारा उंकारलाल जी को विक्रय करना एवं विक्रय के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर डालू का कभी कब्जा नहीं होना एवं वादग्रस्त आराजी पर उंकार जी का कब्जा होना एवं उंकार जी की मृत्यु के बाद वादी का कब्जा होना स्वीकार किया। गवाह पी.डब्ल्यू 6 मिट्ठूलाल का शपथपत्र पेश किया जो कि प्रदर्श 2 का साक्षी है जिसने प्रदर्श 2 ए से बी. अपने हस्ताक्षर होना एवं सी. से डी. बगदीराम धोबी के हस्ताक्षर होना एवं ई.से एफ. डालू के पुत्र के हस्ताक्षर होना एवं जी से एच डालू की निशानी होना स्वीकार किया तथा उक्त दस्तावेज दिनांक 01/7/2020 को डालू के द्वारा किशनलाल के पक्ष में निष्पादित करवा कर नोटेरी से तस्दीक करना स्वीकार किया जिसमें दस्तावेज प्रदर्श 1 के तथ्यों को वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
छोटीसादडी

करना एवं सही होना स्वीकार किया, अपने वाद की पुष्टि में वादी ने अपनी ओर से दस्तावेज प्रदर्श 1 बिकावनामा, प्रदर्श 2 इकरारनामा, प्रदर्श 3 पुरानी जमाबंदी एवं प्रदर्श 5 व 6 नयी जमाबंदी पेश की एवं प्रकरण में प्रतिवादी डालू ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर प्रकरण में इकबाली जवाबदावा पेश किया तथा वाद डिक्री करने का निवेदन किया एवं प्रदर्श 1 दस्तावेज बिकावनामा अपने द्वारा उंकारलाल के पक्ष में निष्पादित करना एवं वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2012 को वेशाख सुदी पूनम को 451/—रूपये में विक्रय करना स्वीकार किया , वादी द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया व साक्ष्य का भी अवलोकन किया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर बखुबी चस्पा होते है जिससे उपरोक्त दस्तावेज एवं साक्षीयों के बयान से वादी का वाद साबित होता है इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझती हूं।

आदेश

मौजा बोहेडा के आराजी नं. 5459/1176 रकबा 0.6900 है. लगानी 7.59 रूपया वादी के खातेदारी में घोषित की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित की जावे एवं प्रतिवादी डालू को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे न करावे तथा वादी को शांतिपूर्वक काबिज रहने देवे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

बिन्दूबाला राजावत
(आर.ए.एस.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:27 IST
Reason: SelfAttested